2010:सीजीएचसी:114-DB

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा

रिट याचिका (227) संख्या 4763/2008

याचिकाकर्ता श्रीमती तुलसी देवी अग्रवाल

बनाम

उत्तरवादीगण हिंदुस्तान फैब्रिकेशन एवं अन्य

उपस्थित:-

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री संजय कुमार, अधिवक्ता।

उत्तरवादी संख्या 1 और 2 की ओर से : श्री प्रशांत जयसवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री सैफ खान, अधिवक्ता।

उत्तरवादी संख्या 4 की ओर से : श्री जी.के. बेरीवाल, अधिवक्ता।

उत्तरवादी संख्या 3 की ओर से : कोई उपस्थित नहीं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत रिट याचिका

आदेश

(17 फरवरी, 2010 को पारित)

यहां याचिकाकर्ता ने विधिकता, वैधता और औचित्यता के आधार पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'संहिता, 1908') के आदेश 38 नियम 5 के अंतर्गत वादीगण का आवेदन स्वीकार करते हुए मृतक रोहित कुमार अग्रवाल की जीवन बीमा पॉलिसी को निर्णय पूर्व कुर्क करने के लिए दिनांक 6-2-2008 (अनुलग्नक पी-1) द्वारा दिए गए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है।

2. वर्तमान याचिका के लिए आधार बनने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि वादीगण/उत्तरवादी संख्या 1 और 2 ने यह कहते हुए रायगढ़ के जिला न्यायाधीश के न्यायालय में राशि 9,69,758/- रुपये की वसूली के लिए एक वाद प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी संख्या 1 श्रीमती रत्ना देवी अग्रवाल के दिवंगत पति और उत्तरवादी संख्या 2 याचिकाकर्ता श्रीमती तुलसी देवी अग्रवाल के पुत्र, रोहित कुमार अग्रवाल, का एक परिवहन व्यवसाय था। रोहित कुमार अग्रवाल का दिनांक 24-1-2006 को एक कार दुर्घटना में निधन हो गया, जिनके पीछे प्रतिवादी संख्या 1 और 2 उनके विधिक उत्तराधिकारी के रूप में हैं। रोहित कुमार अग्रवाल ने दिनांक 27-12-2005 को राशि 4,22,800/- रुपये और दिनांक 2-1-2006 को राशि 5,15,800/- रुपये का लोहा का स्क्रैप वादीगण से उधार खरीदा था। लेन-देन के भुगतान उन्होंने चेक के माध्यम से किए, जो स्वीकृत नहीं हुए। वादीगण के अनुसार, दिवंगत रोहित कुमार अग्रवाल के विधिक उत्तराधिकारी होने के नाते, उत्तरवादी संख्या 1 और 2, वादीगण से दिवंगत रोहित कुमार अग्रवाल द्वारा खरीदे गए माल की कीमत चुकाने के लिए उत्तरदायी हैं। मृतक के पास 8 लाख रुपये की जीवन बीमा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पॉलिसी संख्या 383585272 थी, जिसका भुगतान उत्तरवादी संख्या 1 और 2 को किया जाने वाला है। चूंकि, मांग करने के बावजूद, प्रतिवादीगण संख्या 1 और 2 वादीगण को राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, इसलिए राशि 9,69,758/- रुपये की वसूली के लिए वर्तमान वाद प्रस्तुत किया गया है, साथ ही वादपत्र में यह और प्रार्थना की गई है कि उक्त बीमा पॉलिसी को बोनस, अर्जित ब्याज और उक्त बीमा पॉलिसी से अन्य लाभों सहित निर्णय पूर्व कुर्क किया जाए ताकि यदि वाद का फैसला हो जाता है, तो डिक्रीत राशि की वसूली उक्त बीमा पॉलिसी से की जा सके।

3. वादपत्र के साथ, वादीगण ने संहिता, 1908 के आदेश 38 नियम 5 के अंतर्गत उक्त बीमा पॉलिसी को निर्णय पूर्व कुर्क करने के आदेश के लिए एक आवेदन भी प्रस्तुत किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. रिट याचिका के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से, ऐसा प्रतीत होता है कि केवल याचिकाकर्ता/प्रतिवादी संख्या 2 ने ही अपना लिखित बयान तथा वादीगण के संहिता, 1908 के आदेश 38 नियम 5 के अंतर्गत आवेदन का उत्तर प्रस्तुत किया है। याचिकाकर्ता/प्रतिवादी संख्या 2 ने वादपत्र के अभिकथनों से इंकार किया है और कहा है कि जीवन बीमा पॉलिसी को निर्णय पूर्व कुर्क नहीं किया जा सकता है।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने, आक्षेपित आदेश द्वारा, वादीगण के संहिता, 1908 के आदेश 38 नियम 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार कर लिया है।

6. इस याचिका में विचार के लिए उत्पन्न होने वाला संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या एक जीवन बीमा पॉलिसी को संहिता, 1908 के आदेश 38 नियम 5 के अंतर्गत निर्णय पूर्व कुर्क के आदेश के अधीन किया जा सकता है।

7. याचिकाकर्ता/प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि संहिता, 1908 की धारा 60 की उप-धारा (1) के परंतुक के खंड (टख) में निहित प्रावधानों के आलोक में, निर्णित-ऋणी के जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत संदेय धनराशि को कुर्क नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. दूसरी ओर, उत्तरवादी संख्या 1 और 2/वादीगण की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि संहिता, 1908 की धारा 60 डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय पर लागू होती है और आगे यह तर्क दिया कि उक्त पॉलिसी प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के नाम पर नहीं थी और चूंकि मृतक रोहित कुमार अग्रवाल निर्णित-ऋणी नहीं है, इसलिए उनकी बीमा पॉलिसी के अंतर्गत संदेय धनराशि को कुर्क किया जा सकता है और संहिता, 1908 की धारा 60 की उप-धारा (1) के परंतुक के खंड (टख) में निहित प्रतिबंध लागू नहीं होता है।

9. उत्तरवादी संख्या 4/जीवन बीमा निगम के अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता/प्रतिवादी संख्या 2 के मामले का समर्थन किया है और उन्होंने यह तर्क दिया है कि यह वर्तमान रिट याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है।

10. संहिता, 1908 की धारा 60 की उप-धारा (1) के परंतुक का खंड (टख) इस प्रकार पढ़ा जाता है:

"60. वह सम्पत्ति, जो डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकेगी :-

(1) *निम्नलिखित संपत्ति डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकेगी अर्थात, भूमि, गृह या अन्य निर्माण, माल, धन, बैंक-नोट, चैक, हुण्डी , वचन-पत्र, सरकारी प्रतिभूतियां, धन के लिए बंध-पत्र या अन्य प्रतिभूतियां, ऋण, निगम अंश और, उसके सिवाय जैसा इसमें इसके पश्चात वर्णित है, विक्रय की जा सकने वाली अन्य ऐसी सभी जंगम या स्थावर सम्पत्ति, जो निर्णित-ऋणी की है या जिस पर, या जिसके लाभों पर वह ऐसी व्ययन शक्ति रखता है जिसे वह अपने फायदे के लिए प्रयोग कर सकता हो, चाहे वह निर्णित-ऋणी के नाम में धारित हो या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके लिए न्यास में या उसकी ओर से धारित हो :*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परंतु निम्नलिखित विशिष्ट वस्तुएं ऐसे कुर्क और विक्रय नहीं की जा सकेंग, अर्थात:---

xxxxx xxxxx xxxxx xxxx

(टख) निर्णित-ऋणी के जीवन पर बीमा पॉलिसी के अधीन संदेय सभी धन"

11. संहिता, 1908 के आदेश 38 नियम 5 में निहित प्रावधान यहां उठाए गए मुद्दों पर विचार करने के लिए सुसंगत विषय हैं, इसलिए, उक्त प्रावधान यहां नीचे उद्धृत किए गए हैं:

" ***आदेश 38 नियम 5*** *: संपत्ति पेश करने के लिए प्रतिभूति देने की अपेक्षा*

प्रतिवादी से कब की जा सकेगी।

(1) जहां वाद के किसी भी प्रक्रम में न्यायालय का शपथपत्र द्वारा या

अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी ऐसी किसी डिक्री के जो उसके विरुद्ध पारित की जाए, निष्पादन को बाधित या निलम्बित करने के आशय से—

(क) *अपनी पूरी सम्पत्ति या उसके किसी भाग को व्ययनित करने ही वाला है, अथवा*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ख) *अपनी पूरी सम्पत्ति या उसके किसी भाग को न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से हटा देने ही वाला है,*

वहां न्यायालय, प्रतिवादी को निदेश दे सकेगा कि उस समय के भीतर जो न्यायालय द्वारा नियत किया जाएगा या तो वह उक्त सम्पत्ति को या उसके मूल्य को या उसके ऐसे भाग को जो डिक्री को तुष्ट करने के लिए पर्याप्त हो, अपेक्षा की जाने पर पेश करने के लिए और न्यायालय से व्ययनाधीन रखने के लिए, ऐसी राशि की जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रतिभूति दे या उपसंजात हो और यह हेतुक दर्शित करे कि उसे प्रतिभूति क्यों न देनी चाहिए ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) जिस सम्पत्ति की कुर्की की अपेक्षा की गई है, उसको और उसके

प्राक्कलित मूल्य को, जब तक न्यायालय अन्यथा निदिष्ट न करे, वादी विनिर्दिष्ट करेगा ।

(3) न्यायालय आदेश में यह निदेश भी दे सकेगा कि इस प्रकार विनिर्दिष्ट की गई पूरी सम्पत्ति या उसके किसी भाग की सशर्त कुर्की की जाए|

(4) यदि इस नियम के उपनियम (1) के उपबंधों का अनुपालन किए बिना कुर्की का आदेश किया जाता है तो ऐसी कुर्की शून्य होगी ।

12. ***श्रीमती सरबती देवी और अन्य बनाम श्रीमती उषा देवी, [एआईआर 1984 एससी 346],*** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है :

> "***5.*** *.............................. यहां अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (7) का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। लेकिन धारा 39 के सुसंगत तथ्यों का ऊपर दिया गया सारांश स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि पॉलिसी धारक अपने जीवनकाल के दौरान पॉलिसी में हित रखता है और नामांकित व्यक्ति पॉलिसी धारक के जीवनकाल के दौरान पॉलिसी में किसी प्रकार का कोई हित अर्जित नहीं करता है। यदि ऐसा है, तो पॉलिसी धारक की मृत्यु पर पॉलिसी के अंतर्गत संदेय राशि उसकी संपत्ति का हिस्सा बन जाती है जो उस पर लागू होने वाले उत्तराधिकार विधि द्वारा शासित होती है। ऐसा उत्तराधिकार वसीयती या निर्वसीयत हो सकता है। ...."*

> ***8.*** *..................... इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की गई दूसरी त्रुटि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 60(1)(टख) के संशोधन के प्रभाव पर उसके द्वारा दिए गए भरोसे पर है, जिसमें प्रावधान है कि निर्णित-ऋणी के जीवन पर बीमा पॉलिसी के अंतर्गत संदेय सभी धनराशि उसके लेनदारों द्वारा कुर्क से मुक्त होगी। उच्च न्यायालय ने एक नामांकित व्यक्ति की तुलना बीमाकृत व्यक्ति के उत्तराधिकारियों और वसीयतग्राहियों से की और*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह मानते हुए आगे बढ़ा कि नामांकित व्यक्ति सभी 'लाभ और हानि' के साथ संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करता है। हम अधिनियम की धारा 39 के स्पष्ट प्रावधानों को देखते हुए एक नामांकित व्यक्ति को एक उत्तराधिकारी या वसीयतग्राही के समतुल्य मानना कठिन पाते हैं। संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 के तहत जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत संदेय धन की छूट, बीमाकृत व्यक्ति की संपत्ति के लेनदार के जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत संदेय राशि को कुर्क करने के अधिकार को बरकरार रखने वाले पहले के निर्णयों को 'अवमूल्यन' करने के बजाय, संशोधन के कारण जिसे वह प्रयोग नहीं कर सका, ऐसे लेनदार के ऐसे अधिकार को मान्यता देती है। यह इसलिए है क्योंकि यह कुर्क योग्य था, संसद की नीति को आगे बढ़ाते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन करके इसे कुर्क से मुक्त करती है। ...."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. ***फेडरल बैंक लिमिटेड बनाम श्रीमती इंदिरादेवी कुंजम्मा और अन्य, [एआईआर 1986 बॉम्बे 101],*** में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है:

*"**8.** उपरोक्त उच्चतम न्यायालय के सरबती देवी के मामले में निर्णय के आलोक में, यह मानना अब संभव नहीं है कि बीमा पॉलिसी के अंतर्गत संदेय धनराशि मृतक की संपत्ति का हिस्सा नहीं बनती है। हालांकि, मेरे सामने प्रश्न*

यह नहीं है कि क्या उक्त धनराशि मृतक की संपत्ति का हिस्सा बनती है या नहीं, क्योंकि प्रश्न यह है कि क्या ऐसे धन डिक्री के भुगतान के लिए कुर्क करने योग्य हैं। धारा 60 सीपीसी उस संपत्ति से संबंधित है जो डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय के लिए उत्तरदायी है और इसका परंतुक निर्धारित करता है कि कुछ मदें ऐसी कुर्क और विक्रय के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। खंड (टख) निर्णित-ऋणी के जीवन पर बीमा पॉलिसी के अंतर्गत संदेय सभी धनराशि की बात करता है और ऐसे धन को कुर्क और विक्रय से मुक्त करता है। अब, जैसा कि पहले कहा गया है, श्री पेरेस कार्डोज़ो ने तर्क दिया कि चूंकि ऐसे धन बीमाकृत व्यक्ति की संपत्ति का हिस्सा हैं, इसलिए धारा 60(1) के खंड (टख) में दी गई छूट लागू नहीं होती है। इस तर्क के पीछे का कारण यह है, विद्वान् अधिवक्ता के अनुसार, एक बार बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर, पॉलिसी के अंतर्गत संदेय धन उसकी संपत्ति में आ जाते हैं, और इसलिए उसके उत्तराधिकारी और विधिक प्रतिनिधि उक्त धन का विनियोग कर रहे हैं और इस प्रकार, उक्त धन उपरोक्त खंड (टख) के दायरे से पूरी तरह बाहर हैं। मुझे लगता है कि विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं, क्योंकि, सबसे पहले, किसी को उस विधायी नीति को ध्यान में रखना होगा जिसने छूट को निर्धारित किया। मेरी राय है और मेरा मानना है कि विधायिका ने निर्णित-ऋणी के जीवन पर बीमा पॉलिसी के अंतर्गत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संदेय धन को कुर्क से मुक्त कर दिया था ताकि मृतक के उत्तराधिकारियों और विधिक प्रतिनिधियों को कुछ प्रतिभूति दी जा सके। यह स्थिति होने के बावजूद, भले ही उक्त धन मृतक की संपत्ति का हिस्सा बन रहे हों, फिर भी सीपीसी के खंड (टख) में निर्धारित छूट उसी धन का अनुसरण करती है। सरबती देवी के मामले में उच्चतम न्यायालय के इस अवलोकन से कि छूट विशेष रूप से इसलिए निर्धारित की गई थी क्योंकि किसी व्यक्ति के जीवन पर बीमा पॉलिसी के अंतर्गत संदेय राशियां अन्यथा कुर्क योग्य थीं, मैं इस वाद-विषय में दृढ़ता प्राप्त करता हूं। दूसरे शब्दों में, उच्चतम न्यायालय ने बताया कि यदि सीपीसी की धारा 60(1) के खंड (टख) का विशेष प्रावधान नहीं होता, तो किसी व्यक्ति के जीवन पर बीमा पॉलिसी के अंतर्गत संदेय धन डिक्री की संतुष्टि के लिए कुर्क और विक्रय के लिए उत्तरदायी होते। इस प्रकार मेरा दृढ़ मत है कि निर्णित-ऋणी के जीवन पर बीमा पॉलिसी के अंतर्गत संदेय धन उपरोक्त सीपीसी की धारा 60(1) के खंड (टख) के आधार पर कुर्क और विक्रय से पूरी तरह छूट प्राप्त हैं, इस परिस्थिति की परवाह किए बिना कि बीमा पॉलिसी बीमाकृत व्यक्ति के जीवनकाल के दौरान परिपक्व होती है या धन उसकी मृत्यु के बाद संदेय हो जाते हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. एक बार फिर मद्रास उच्च न्यायालय ने ***क्षेत्रीय प्रबंधक, एलआईसी ऑफ इंडिया, तंजावुर बनाम जॉन बॉस्को और अन्य,***

[एआईआर 2002 मद्रास 348], में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है:

*"**7-1.** सीपीसी की धारा 60(1) का परंतुक (टख), निस्संदेह, निर्णित-ऋणी के जीवन पर बीमा पॉलिसी के अंतर्गत संदेय सभी धन को छूट प्रदान करता है, लेकिन जीवन बीमा योजना के तहत पॉलिसी राशि पॉलिसी धारक पर नहीं बल्कि उसके विधिक प्रतिनिधियों पर एक अधिकार प्रदान करती है। इसलिए, एक निर्णित-ऋणी की बीमा पॉलिसी के अंतर्गत संदेय धन कुर्क और विक्रय से पूरी तरह छूट प्राप्त हैं, इस परिस्थिति की परवाह किए बिना कि बीमा पॉलिसी बीमाकृत व्यक्ति के जीवनकाल के दौरान परिपक्व होती है या धन निर्णित-ऋणी की मृत्यु के बाद संदेय हो जाते हैं, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने **श्रीमती सरबती देवी बनाम श्रीमती उषा देवी, [एआईआर 1984 एससी 346]** में अभिनिर्धारित किया है।*

__7-2.__ सीपीसी की धारा 60(1) के परंतुक (टख) के तहत संरक्षित उपरोक्त छूट के पीछे का विधायी उद्देश्य यह है कि जीवन या पॉलिसी धारक की बीमा पॉलिसी के अंतर्गत संदेय धन का उद्देश्य उसके उत्तराधिकारियों और विधिक प्रतिनिधियों को कुछ प्रतिभूति देना है। मेरे विचार में, ऐसे विधायी उद्देश्य को किसी भी तरह से कमजोर नहीं किया जा सकता है, केवल इस आधार पर कि कुर्क की जाने वाली पॉलिसी राशि निर्णित-ऋणी की है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

या नहीं; क्योंकि अन्यथा, पॉलिसी धारक के विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिभूति प्रदान करने के लिए विधायिका का इरादा विफल हो जाएगा।

***7-3.** यदि ऐसा है, तो भले ही इस उदाहरण मामले में डिक्री धारक/प्रथम उत्तरवादी ने निर्णित-ऋणी/उत्तरवादी 2 और 3 के पिता की पॉलिसी राशि को कुर्क करने का प्रस्ताव रखा हो, मेरी विचारित राय में, यह सीपीसी की धारा 60(1) के परंतुक (टख) के तहत निहित विधायी उद्देश्य का उल्लंघन करेगा और इसलिए, निर्णित-ऋणी/उत्तरवादी 2 और 3 के पिता की ऐसी पॉलिसी राशि भी कुर्क योग्य नहीं है। इसलिए, निर्णित-ऋणी/उत्तरवादी 2 और 3 के पिता की पॉलिसी राशि को कुर्क करने के कारणों को उचित नहीं पाते हुए और सीपीसी की धारा 60(1) के परंतुक (टख) की भावना और दायरे के विरुद्ध पाते हुए, उन्हें अपास्त किया जाता है, लेकिन डिक्री धारक के ओ.एस. संख्या 17 of 1995 में दिनांक 29-11-1996 को पारित डिक्री को यहां उत्तरवादी 2 और 3 के विरुद्ध विधि के अनुसार ज्ञात तरीके से कार्यान्वित करने के अधिकार को प्रभावित नहीं किया जायेगा" ।*

15. उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित अनुपात और विधि के सिद्धांतों को लागू करते हुए, मुझे यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि चूंकि जीवन बीमा योजना के तहत पॉलिसी राशि न केवल पॉलिसी धारक पर बल्कि उसके विधिक प्रतिनिधियों पर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भी एक अधिकार प्रदान करती है, इसलिए, एक निर्णित-ऋणी की बीमा पॉलिसी के अंतर्गत संदेय धन कुर्क और विक्रय से पूरी तरह छूट प्राप्त हैं, इस परिस्थिति की परवाह किए बिना कि बीमा पॉलिसी बीमाकृत व्यक्ति के जीवनकाल के दौरान परिपक्व होती है या धन निर्णित-ऋणी की मृत्यु के बाद संदेय हो जाते हैं। उत्तरवादी संख्या 1 और 2/वादीगण के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उठाया गया तर्क कि चूंकि इस मामले में मृतक पॉलिसी धारक न तो एक प्रतिवादी है और न ही भविष्य में निर्णित-ऋणी होगा, इसलिए संहिता, 1908 की धारा 60 की उप-धारा (1) के परंतुक का खंड (टख) लागू नहीं होता है, में कोई सार नहीं है क्योंकि परीक्षण यह करना है कि क्या उक्त पॉलिसी धारक के जीवित होने की स्थिति में, वह एक उत्तरवादी होता या नहीं। वर्तमान मामले में, यह मृतक ही था जिसने उधार पर लोहा का स्क्रैप खरीदा था, इसलिए, यह उसकी देनदारी है जिसे वादी विधिक उत्तराधिकारियों पर थोप रहे हैं, इसलिए, विधि के प्रावधानों के सभी ऐसे लाभ, जो मृतक को उपलब्ध होते, यदि वह जीवित होता, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को उपलब्ध होंगे, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को केवल उस व्यक्ति के विधिक उत्तराधिकारियों की क्षमता में शामिल किया गया है जिसने लेन-देन किए थे और वाद दायर होने से पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा श्रीमती सरबती देवी और एक अन्य बनाम श्रीमती उषा देवी (पूर्वोक्त) में अभिनिर्धारित विधि से इस तथ्य के लिए सहायता प्राप्त करता हूं कि बीमा पॉलिसी के अंतर्गत संदेय राशि 'उसकी संपत्ति का हिस्सा बन जाती है जो उस पर लागू होने वाले उत्तराधिकार

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विधि द्वारा शासित होती है', जिसका अर्थ है कि एक बार जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत संदेय धन मृतक की संपत्ति का हिस्सा बन जाता है, तो यह संहिता, 1908 की धारा 60 की उप-धारा (1) के परंतुक के खंड (टख) जैसे विधिक प्रावधानों के सभी अनुप्रयोगों को अपने साथ ले जाएगा।

16. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में एक और दोष है क्योंकि संहिता, 1908 के आदेश 38 के नियम 5 के तहत, न्यायालय का कर्तव्य है कि वह संतुष्ट हो कि प्रतिवादी, उसके विरुद्ध पारित किए जा सकने वाले किसी भी डिक्री के निष्पादन में बाधा डालने या देरी करने के इरादे से, अपनी संपत्ति के संपूर्ण या किसी भाग का निपटान करने वाला है या संपत्ति के संपूर्ण या किसी भाग को न्यायालय के क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं से हटाने वाला है और आगे न्यायालय उत्तरवादी को निर्देश दे सकता है, उसके द्वारा निर्धारित एक समय के भीतर, या तो उस राशि में प्रतिभूति उपलब्ध कराने के लिए, जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया गया हो, उक्त संपत्ति या उसके मूल्य को उत्पादित करने और न्यायालय द्वारा निराकृत किये जाने के लिए, जब आवश्यक हो, या डिक्री को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त हो सके उसके ऐसे भाग के लिए, या उपस्थित होने और यह दिखाने का कारण बताने के लिए कि उसे प्रतिभूति क्यों नहीं देनी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. संहिता, 1908 के आदेश 38 के नियम 5 की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि वादी, जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देश न

दे, कुर्क की जाने वाली संपत्ति और उसके अनुमानित मूल्य को निर्दिष्ट करेगा, जबकि संहिता, 1908 के आदेश 38 के नियम 5 की उप-धारा (3) एक प्रावधान बनाती है कि न्यायालय आदेश में निर्दिष्ट संपत्ति के संपूर्ण या किसी भाग की सशर्त कुर्क का भी निर्देश दे सकता है।

18. संहिता, 1908 के आदेश 38 के नियम 5 की उप-धारा (4) कहती है कि यदि संहिता, 1908 के आदेश 38 के नियम 5 की उप-धारा (1) के प्रावधानों का पालन किए बिना कुर्क का आदेश दिया जाता है, तो ऐसी कुर्क शून्य होगी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

19. वादीगण द्वारा संहिता, 1908 के आदेश 38 नियम 5 के अंतर्गत दायर आवेदन और आक्षेपित आदेश के पठन पर, यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होगा कि अधीनस्थ न्यायालय ने संहिता, 1908 के आदेश 38 के नियम 5 की उप-धारा (1) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है क्योंकि न्यायालय ने कभी भी प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को प्रतिभूति उपलब्ध कराने या न्यायालय के निपटान में कोई संपत्ति या उसके मूल्य को उत्पादित करने और रखने का निर्देश नहीं दिया, जो डिक्री को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त हो सकता हो या उपस्थित होने और यह दिखाने का कारण बताने के लिए कि उन्हें प्रतिभूति क्यों नहीं देनी चाहिए। वादीगण द्वारा संहिता, 1908 के आदेश 38 नियम 5 के अंतर्गत दायर आवेदन के कण्डिका 6 में, उल्लेख किया गया है कि मृतक रोहित कुमार अग्रवाल के पास कई ट्रक थे, जिनमें से दो प्रतिवादी संख्या 2/यहां याचिकाकर्ता द्वारा बेच

दिए गए हैं और शेष संपत्ति के भी बेचे जाने की संभावना है। इस दावे के बावजूद, अधीनस्थ न्यायालय ने कभी भी वादीगण को आवेदन के कण्डिका 6 में संदर्भित अन्य ट्रकों या संपत्ति का विवरण देने के लिए नहीं कहा और कभी भी प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को नोटिस जारी नहीं किया और सीधे संहिता, 1908 के आदेश 38 नियम 5 के अंतर्गत आवेदन को स्वीकार करते हुए आक्षेपित आदेश पारित कर दिया। संहिता, 1908 के आदेश 38 के नियम 5 की उप-धारा (1) के प्रावधानों का पालन किए बिना कुर्क का ऐसा आदेश, संहिता, 1908 के आदेश 38 के नियम 5 की उप-धारा (4) के तहत शून्य है। यह न्यायालय पाता है कि इस कारण से भी, आक्षेपित आदेश को अपास्त किए जाने योग्य है क्योंकि यह पारित किया गया था, प्रथमतः, संहिता, 1908 के आदेश 38 के नियम 5 में निहित प्रावधानों का पालन किए बिना और द्वितीयतः, इस कारण से कि मृतक से संबंधित जीवन बीमा पॉलिसी संहिता, 1908 की धारा 60 की उप-धारा (1) के परंतुक के खंड (टख) के तहत कुर्क के लिए उत्तरदायी नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. ***अच्युतानंद बैद्य बनाम प्रतुलिया कुमार गायेन और अन्य, [(1997) 5 एससीसी 76]*** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है:

> ***10.*** *संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति केवल प्रशासनिक अधीक्षण तक ही सीमित नहीं है बल्कि ऐसी शक्ति में न्यायिक पुर्विलोकन की शक्ति भी शामिल है। अनुच्छेद 227 के तहत उच्च*

न्यायालय की शक्ति और कर्तव्य आज्ञापक रूप से यह सुनिश्चित करना है कि उच्च न्यायालय से अधीनस्थ अदालतों और न्यायाधिकरणों ने वह किया है जो उन्हें करना आवश्यक था। इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा विधि अच्छी तरह से स्थापित है कि उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उन मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है जहां त्रुटिपूर्ण धारणा या उसके क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य करना, क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार, अभिलेख पर स्पष्ट विधिक त्रुटि के विपरीत केवल विधि की गलती, अधिकार या विवेक का मनमाना या अप्रत्याशित प्रयोग, प्रक्रिया में स्पष्ट त्रुटि, एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचना जो विपरीत है या किसी सबूत पर आधारित नहीं है, या स्पष्ट अन्याय के परिणामस्वरूप होता है। अधीनस्थ न्यायालय के तथ्यात्मक निष्कर्ष के संबंध में, उच्च न्यायालय को केवल इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त नहीं करना चाहिए कि उसका तथ्यात्मक निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण था, लेकिन यह उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 227 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथ्यात्मक निष्कर्ष के साथ हस्तक्षेप करने के लिए खुला होगा यदि अधीनस्थ न्यायालय बिना किसी सबूत के या सबूतों के स्पष्ट गलत अर्थांतरण पर निष्कर्ष पर पहुंचा है जिससे क्षेत्राधिकार का अनुचित प्रयोग हुआ हो या यदि, उसके द्वारा दिया गयानिष्कर्ष विपरीत हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. वर्तमान मामले में, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश क्षेत्राधिकार संबंधी दोष से ग्रस्त है, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है। यह वर्तमान रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

सही/-

प्रशांत कुमार मिश्रा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By : ANKIT SHRIVAS